"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2008—आषाढ़ 27, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक ई 1-11/2008/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 27-3-2008 द्वारा जारी की गई भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सप्तम संशोधन विनियमावली, 2008 के अनुक्रम में भा. प्र. से. (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-7 (ग) (iii) के प्रावधानुसार, राज्य शासन, अधिकारियों द्वारा धारित संवर्गीय पदों के न्यूनतम कार्यकाल की समीक्षा करने हेतु समिति गठित की जाती है. उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य रहेंगे :—

(1)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
(2)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव	-	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	-	सदस्य सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

2. समिति द्वारा उन अधिकारियों के मामलों की जांच-पड़ताल करेगा जिन्हें भा. प्र. से. (संवर्ग पर संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची की मद 1 के संबंध में यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूर्ण होने से पहले स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है.

3. न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति भा. प्र. से. (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-7 के खण्ड (ग) की उप धारा (प) के अंतर्गत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरण हेतु उन आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर विचार कर सकती है जिनके संबंध में उपर्युक्त समिति स्वयं का समाधान कर लेगा.

4. समिति द्वारा न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानांतरण हेतु लिखित में रिकार्ड किये जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को अधिकारियों के नाम संस्तुत करेगा.

5. समिति द्वारा निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किसी अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य मांगेगा. प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर, समिति के पास अन्य विश्वस्त सूत्रों से हासिल, अन्य किसी जानकारी के साथ विचार करेगा.

6. समिति को अधिकारी के स्थानांतरण प्रस्ताव के औचित्य में उसे प्रस्तुत परिस्थितियों के बारे में, समिति द्वारा स्थानांतरित किये जाने के लिये प्रस्तावित अधिकारी के मत/टिप्पणी हासिल किया जावेगा.

7. समिति स्पष्ट निष्कर्षों के आधार पर सरकार को समय पूर्व स्थानांतरण की अपरिहार्यता के संबंध में सिफारिश करने से पूर्व स्वयं का समाधान कर लेगा.

8. समिति निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरित किये जाने हेतु संस्तुत अधिकारियों के ब्यौरों का, स्थानांतरण के कारणों सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये केन्द्रीय सरकार [illegible]रत आरूप में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2008

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-05-2008 द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर को दिनांक 28-05-2008 से 17-06-2008 तक (21 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था इसी अनुक्रम में डॉ. शुक्ला को दिनांक 18 एवं 19 जून, 2008 का दो दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के बाजपेयी, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-16/2008/1-8.—श्री कमलराज मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, वेतनमान विसंगति समिति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री कृषलाल रवि, (राज्य वित्त सेवा) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अवर सचिव, वेतनमान विसंगति समिति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 679/512/2008/1-8/स्था.—श्री संजय गौड (सहा. आयुक्त) उप संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 23-5-2008 से 4-6-2008 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय गौड (सहा. आयुक्त) उप संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय गौड अवकाश पर नहीं जाते तो उप संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2008

क्रमांक 681/633/2008/1-8/स्था.—श्री जे. एस. दीक्षित, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 30-06-2008 से 5-7-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. दीक्षित को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. दीक्षित अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2008

क्रमांक 683/647/2008/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, स्टाफ आफिसर, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल, छत्तीसगढ़ को दिनांक 2-6-2008 से 20-6-2008 तक 19 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. दुबे को उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल, छत्तीसगढ़ के स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल, छत्तीसगढ़ के स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के [illegible] तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक एफ 1/70/भापुसे/2001/6939.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 16-06-2008 से 05-07-2008 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 14 एवं 15 जून 2008 तथा दिनांक 06 जुलाई 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.



राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 1-119/राजस्व/राहत/2007.—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (क्रमांक 53, सन् 2005) की धारा 20 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/राजस्व/राहत/2006, दिनांक 29 दिसम्बर 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"राज्य कार्यपालिक समिति" निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(ख)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
(ग)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
(घ)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
(ङ)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	पदेन सदस्य

Raipur, the 2nd July 2008

F No. 1-119/Revenue/Relief/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 20 read with section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and in Supersession of this Department Notification F. No. 1-20/Revenue/Relief/2006, dated 29 December 2007, the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Disaster Management Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

for clause (1) of sub-rule (1) of rule-8, the following clause shall be substituted :—

"State Executive Committee" shall be consist of the following :—

(i)	Chief Secretary Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Chairperson
(ii)	Secretary Government of Chhattisgarh, Department of Health & Family Welfare.	Ex-Officio Member
(iii)	Secretary Government of Chhattisgarh Home Department	Ex-Officio Member
(iv)	Secretary Government of Chhattisgarh Finance Department	Ex-Officio Member
(v)	Secretary Government of Chhattisgarh Revenue Disaster Management Department.	Ex-Officio Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, उप-सचिव.

कृषि (मछलीपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2008

क्रमांक एफ 1-6/07/36/स्था.—राज्य शासन एतद्द्वारा मछलीपालन विभाग में संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग से संचालक, मत्स्योद्योग के पद पर पदोन्नति हेतु भरती नियम में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 02 वर्ष में कम पड़ रही अवधि की छूट एक बार देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. भविष्य के लिए यह छूट पूर्वोदाहरण नहीं होगी.

2. उक्त स्वीकृति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 388, दिनांक 11-06-2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2008

क्रमांक एफ-1-7/36/स्था/2008.—राज्य शासन नवगठित जिला [illegible]पुर के जिला कार्यालय हेतु निम्नांकित 07 पदों के सृजन की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	स्वीकृत पदों की संख्या (4)
1.	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	8000-275-13500	01
2.	मत्स्य निरीक्षक	3500-80-4700-100-5200	02
3.	सहायक वर्ग-दो	4000-100-6000	01

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	सहायक वर्ग-तीन	3050-75-3950-80-4590	01
5.	भृत्य/चौकीदार	2550-55-2660-60-3200	02
		योग	07

2. उक्त नवीन जिला कार्यालय की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के लिए कार्यालय दंतेवाड़ा से पदों को Redeploy किए जाने की सहमति भी प्रदान की जाती है.

3. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-16-मुख्यशीर्ष-2405-मीन उद्योग उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-(101) अंतर्देशीय मीन उद्योग सेगमेंट कोड-0000, योजना क्रमांक (0162)-अंतर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर अमला (आयोजनेत्तर) अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. उक्त स्वीकृति/सहमति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-421/सी. एन.-21140/बजट-5/वित्त/चार-2008, दिनांक 11-6-2008 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/3769/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक/2926/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2 दिनांक 29-09-2007 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण परिषद् हेतु निम्नानुसार अशासकीय उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करती है :—

क्र.	नाम	पता	विषय	पद
1.	डॉ. विशाल चन्द्राकर	ग्राम देवबलोदा, जिला दुर्ग	कृषक	उपाध्यक्ष
2.	श्री प्रीतम गवेल	सक्ती	कृषि	सदस्य
3.	श्री दिव्यानंद पटेल	तेलीपारा, बिलासपुर	बागवानी	सदस्य
4.	श्री महेश चन्द्राकर	ग्राम लभराखुर्द, महासमुन्द	वानिकी	सदस्य
5.	श्री मोन्टू यादव	मोतीपुर, राजनांदगांव	दुग्ध उत्पादन	सदस्य
6.	श्री रामसंजीवन वर्मा	ग्राम नरदहा, रायपुर	पशुपालन	सदस्य
7.	श्री मोहन वंशी	ढीमरपारा, रायपुर	मत्स्यपालन	सदस्य
8.	श्री भादूराम साहू	ग्राम भेण्डरी, विकासखण्ड मगरलोड, जिला धमतरी.	कृषि	सदस्य
9.	श्री शिव चंद्राकर	दुर्ग	कृषि	सदस्य
10.	श्री विजय रजवाड़े	ग्राम अगस्तपुर, पो. कृष्णपुर, जिला अंबिकापुर	कृषि	सदस्य
11.	श्री झरीसिंह	ग्राम खैराडीह, जिला जशपुर	कृषि	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव एवं सदस्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2008

संशोधन

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2008 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन बाबत्.

संदर्भ :- शासन के पत्र क्रमांक-1795/एफ-8/4/2008-09/14-2, रायपुर दिनांक 26-4-2008.

क्रमांक/3641/एफ-8/4/2008-09/14-2.—विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2008 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत् अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :—

1. पृष्ठ-1 में "अऋणी किसानों के घोषणा पत्र की समय-सारणी निम्नानुसार है" :— के स्थान पर "ऋणी किसानों के घोषणा पत्र की समय-सारणी निम्नानुसार है", पढ़ा जावे.

2. अधिसूचना में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को अऋणी किसानों की घोषणा पत्र भेजने की अंतिम तिथि 31-08-2008 है, का उल्लेख नहीं है, को प्रतिस्थापित की जाती है.

3. पृष्ठ-2 में उल्लेखित अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है.

क्र.	फसल का नाम	प्रीमियम दर		बीमित राशि (प्रति हेक्टर)	
		सामान्य दर	वास्तविक दर	निर्धारित उपज दर के मूल्य तक	औसत उपज दर का 150 प्रतिशत समर्थन मूल्य तक
1.	धान असिंचित	2.5 प्रति हे.	5.15 प्रति हे.	6875.00	17187.00
2.	धान सिंचित	2.5 —,,—	6.95 —,,—	16608.00	31140.00
3.	ज्वार	2.5 —,,—	7.5 —,,—	3740.00	7013.00
4.	मक्का	2.5 —,,—	5.2 —,,—	5219.00	13049.00
5.	कोदो-कुटकी	2.5 —,,—	8.65 —,,—	770.00	1924.00
6.	तुअर	2.5 —,,—	11.50 —,,—	4919.00	12297.00
7.	मूंगफली	3.5 —,,—	4.3 —,,—	13978.00	26209.00
8.	तिल	3.5 —,,—	5.70 —,,—	3027.00	7567.00
9.	सोयाबीन	3.5 —,,—	7.35 —,,—	6303.00	15757.00

4. **प्रीमियम अनुदान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—**
ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंकों के नोडल कार्यालय प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि ही इंश्योरेंश कंपनी को प्रेषित करेंगे.

लघु एवं सीमांत किसानों का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा जो कि केन्द्रीय सरकार के एकीकृत ग्रामीण विकास के अनुरूप होगी.

लघु कृषक :— ऐसे कृषक जिसके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह लघु कृषक कहलायेंगे.

सीमांत कृषक :— ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह सीमांत कृषक कहलायेंगे.

5. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** बैंक सर्विस चार्जेस के बिन्दु में बैंक सर्विस चार्जेस उल्लेखित 25 प्रतिशत की जगह 2.5 प्रतिशत पढ़ा जावे.

6. अधिसूचना में एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी को राज्य शासन से उपज दर के आंकड़े देने का अंतिम तिथि के बारे में उल्लेख नहीं है. अत: सभी अधिसूचित फसल के लिये आंकड़े देने की अंतिम तिथि 31-01-2009 एवं तुअर फसल के लिये 31-5-2009 प्रति-स्थापित की जाती है. अधिसूचित तहसीलें, फसलें यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 740/एफ 7-15/32/2008.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सीपत विशेष क्षेत्र के लिये सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करती है.

कलेक्टर, बिलासपुर को सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.

रा[illegible]क 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 745/एफ 7-13/32/2008.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा तमनार विशेष क्षेत्र के लिये तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करती है.

कलेक्टर, रायगढ़ को तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENT OF ENERGY

Raipur, the 27th June 2008

No. 229/SS (E)/2008.—Whereas the State Government has entered into quadripartite agreements separately with Rural Electrification Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956, Chhattisgarh State Electricity Board and three different Central Public Sector Undertaking (CPSU) i.e. National Hydro Electric Power Corporation Limited, National Thermal Power Corporation Limited, Power Grid Corporation of India Limited, companies incorporated under the Companies Act, 1956, with the intention to provide access to electricity to rural household in selected districts/areas of the state in pursuance of the national programme "Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana", a scheme for rural electricity infrastructure and household electrification;

And whereas, the infrastructure development works like construction of lines and substations under the aforesaid scheme completed in a number of areas need inspection as per the provisions of the Indian Electricity Rules, 1956 to ensure safety of the installation as well as the public;

And whereas, it is necessary to complete such inspection work with promptitude before energisation to make the scheme operational within the stipulated time i. e. March 2012;

And whereas more number of Electrical Inspectors are required for the aforesaid inspection work for its timely completion;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with rule 4 of the Indian Electricity Rules, 1956 the State Government does hereby appoint the Executive Engineers of the Chhattisgarh State Electricity Board as Electrical Inspectors who shall exercise the powers and perform the functions of Electrical Inspector under the said Act in respect of the electrical works and installations under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana except in respect of 33 Kilo Volt (KV) lines.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIVEK DHAND, Principal Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 8-2/2008/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमि., कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3569 को दिनांक 28-07-2008 से 31-10-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक एफ 1-32/2008/20-एक.—छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं को शिक्षा सत्र 2004-05 तथा 2005-06 में पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु निर्दिष्ट करता है :—

1. बालपत्रिका "बचपन" कक्षा 1 से 5 के लिए.

2. बालपत्रिका "बालमित्र" कक्षा 6 से 8 के लिए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिबियाना तिर्की, अवर सचिव.



राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2008

क्रमांक 569/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	ठेलका प. ह. नं. 3	2.09	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	ठेलका डायवर्सन नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/ 3714/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुंठपुर	तेन्दुआ	0.03	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (सरगुजा)	तेजपुर-तेन्दुआ मार्ग के गुरघेला सेतु पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/ 3714/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुंठपुर	डुमरिया	0.34	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप-संभाग, अम्बिकापुर (सरगुजा).	डुमरिया - शिवप्रसाद नगर-गंगोटी मार्ग पर गोबरी नाला सेतु पहुंच मार्ग के लिये भूमि का अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान, कलेक्टर, कोरिया के कार्यालय में दे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/6388/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	विक्रमपुर प. ह. नं. 3	2.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजीगंजा जला. के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/6389/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	कंटगीखुर्द प. ह. नं. 2	2.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजीगंजा जला. के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/6390/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मारूटोला खुर्द प. ह. नं. 2	1.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजीगंजा जला. के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/6391/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कौरिनभाठा प. ह. नं. 36	0.01/2	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	विश्राम भवन पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2008

क्रमांक/6387/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	10/1	0.53
योग		0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जून 2008

क्रमांक/6548/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	413/1	0.45
योग		0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरटोला व्यपवर्तन के नहर-नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 जून 2008

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बासिनझोरी, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.939 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.018
2/1	0.004
4/1	0.033
41/22	0.223
141/1	0.006
4/10	0.038
4/11	0.047
2/4	0.004
4/12	0.045
205/2	0.106
4/13	0.052
4/4	0.120
41/8	0.129
4/5	0.117
4/9	0.140
41/7	0.084
4/7	0.041
4/8	0.061
41/17	0.090
43/1	0.093
42/2	0.020
42/1	0.005
43/4	0.111
41/10	0.038
41/12	0.167
205/3	0.104
141/3	0.029
10	0.118
11/2	0.084
11/4	0.042
11/3	0.037
32/1	0.079
30/1	0.125
245/1	0.115
30/5	0.109
30/6	0.012
29/1	0.036
29/2	0.038
29/3	0.033
29/4	0.024
29/5	0.021
29/6	0.004
152/2	0.012
139	0.227
151/1	0.124
140/1	0.117
140/3	0.019
148	0.217
141/2	0.004
142/2	0.105
142/1	0.102
205/1	0.107
242/2	0.117
243/1	0.066
243/2	0.198
244/6	0.037
254/2	0.058
246/1	0.039
246/3	0.100
254/1	0.103
254/5	0.105
254/3	0.053
28/1	0.017
32/3	0.210
योग 64	4.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-जामबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
294	0.121
101/3	0.081
100	0.020
293	0.041
योग	0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामबहार-पोतरा मार्ग के कि. मी. 1/4 पर खारून सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-चिंगारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.679 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.093
29	0.032
43	0.182
45	0.089
46/1	0.283
योग	0.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिंगारी गंजपुर मार्ग के कि. मी. 1/8 पर केलो सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक 07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-खरवानी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/4	0.101
389/3	0.093
योग 2	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सराईपाली नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
307/1	0.016
307/2	0.008
308	0.008
309	0.024
योग 11	0.307

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुआडीह माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सोंहागपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287/1	0.020
287/2	0.024
288/1	0.057
288/2	0.016
286	0.053
305/1	0.028
318/2	0.053

कोरबा, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक 09—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-महोरा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
806/3	0.004
808/5, 809/5	0.036
807	0.032
843	0.073
809/4	0.045
844/1	0.004
844/3, 846/1, 847/3	0.045

	(1)	(2)
	845/1, 846/3	0.016
	861/2	0.008
	809/2, 810/1	0.028
	808/4, 809/3	0.020
योग	11	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपा शाखा नहर के अंतर्गत महोरा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक ...—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-गितारी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.522 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	749/1	0.012
	757	0.024
	745	0.053
	744/2	0.032
	740/2	0.020
	801	0.057
	739/4	0.073
	739/3	0.004
	739/1	0.032
	735	0.061
	732	0.045
	731	0.032
	730	0.028
	726, 727	0.049
योग	14	0.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपा शाखा नहर के अंतर्गत महोरा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-145.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1	0.16
2/1	0.44
2/4	0.15
2/5	0.18
2/6	0.17
1/2	0.24
1/3	0.24
2/2	0.24
2/3	0.24
2/7	0.18
3/1	0.37
3/2	0.32
49/2	0.32
54/3	0.12
65/3	0.20
543/1	0.33
542/3	0.02
4/2	0.03
28/2	0.27
28/1	0.48
536/1	0.43
554/1	0.38
541/2	0.35
29	0.34
72	0.48
536/4	0.25
536/3	0.25
4/1	0.39
4/3	0.36
49/1	0.78
65/2	0.20
65/1	0.20
5/1	1.26
44	0.95
54/1 झ	0.19
5/2	0.01
21/1	0.33
5/3	0.01
21/2	0.33
5/5	0.55
26/2	0.46
26/4	0.46
5/4	0.60
5/6	0.45

(1)	(2)
5/9	0.44
42	0.27
304/1	0.65
304/2	0.40
312	0.76
314	0.26
321/4	0.35
321/5	0.68
321/9	0.35
537	0.53
551/1, 551/2	0.80
552	0.82
5/7	0.89
20	0.80
22	0.40
24	0.84
25	0.84
34	0.90
87	0.40
5/8	0.72
5/10	0.60
26/3	0.46
37	0.88
38/1	0.68
549	0.43
6	0.01
7	0.02
8	0.54
9	0.54
10	0.62
12	0.37
11/1	0.46
11/2	0.46
13	0.53
303	0.63
297/1	0.12
14/1	0.49
14/2	0.49
47	0.16
89/2 ग	0.10
289/2	0.41
321/6	0.14
15/1	0.27
61	0.52
94/4	0.09
91/1	0.49

(1)	(2)	(1)	(2)
92/1	0.53	70/1	0.14
93/1	0.20	31/3	0.15
94/1	0.20	70/3	0.64
275/1	0.17	331	0.12
327/1	0.42	321/2	1.00
77	0.90	112/3	0.33
78	0.46	321/3	0.88
15/2	0.70	32	0.52
66	1.17	74	1.92
90	0.18	75	0.37
91/2	0.93	33	0.47
275/2	0.16	286/2	0.21
327/3	0.43	286/4	0.20
16/1	0.42	544/1	0.40
16/2	0.50	35/1	0.40
17/1	0.07	35/2	0.27
17/2	0.47	288/1	0.24
19	0.54	548/2	0.40
39	1.44	35/3	0.14
334/1	0.35	288/2	0.24
516	0.71	35/4	0.40
17/3	0.40	548/3	0.37
18	0.65	36	0.78
23/1	0.29	58	0.30
89/5	0.20	68/1	0.18
540/2 ग	0.42	68/2	0.18
23/2	0.29	276/1	0.03
51/2	0.20	279	0.70
89/6	0.40	281/2	0.15
89/10	0.20	281/3	0.15
542/2	0.32	295/3	0.13
26/1	0.44	295/4	0.12
31/2	0.01	319/6	0.17
531/2	0.14	558/1	0.32
533	0.34	38/2	0.68
545	0.31	555/2	0.79
546	0.32	41	0.34
321/8	0.93	62/1	0.35
27	0.71	45	0.40
43	1.03	89/3	0.40
110	0.60	46	0.31
30	0.45	59	0.34
31/4	0.45	326/3	0.03
40	0.49	48	0.13
553	0.60	49/3	0.14
31/1	0.10	50/1	0.19

(1)	(2)
50/2	0.19
111/4	0.24
112/4	0.33
51/1	0.40
89/3 ख	0.20
540/2 क	0.40
53/2	0.22
54/2 ख	0.04
104/1	0.69
89/2 ख	0.38
51/3	0.20
53/1	0.42
54/2 क	0.10
71	0.36
89/1	0.20
89/7	0.40
89/8	0.60
89/9	0.21
540/2 ख	0.34
52/1	0.24
52/2	0.37
52/3	0.23
54/1 ख	0.24
530/1 ख	0.30
311	0.20
54/1 ज	0.25
286/3	0.10
54/2 ज	0.25
286/4	0.10
54/1 छ	0.37
54/1 ड	0.36
54/1 क्ष	0.20
60	0.42
79	0.52
80/1	0.62
80/2	0.50
81	0.20
92/2	0.53
93/2	0.20
538/1	0.67
55	0.28
57	0.28
56/1, 56/2	0.76
62/2	0.46
287	0.46
531/1	0.13
532	0.56
541/1	0.29
542/1	0.33
63/1	0.22
63/2	0.22
64	0.35
89/4 क	0.46
67/1	0.14
281/1	0.14
67/2	0.14
84/3	0.80
105	0.38
280	0.14
69	0.44
103	0.50
283	0.08
70/2	0.62
102/2	0.50
112/2	2.26
73	0.48
76	1.21
82/1	1.00
84/1	0.82
84/2	0.09
327/2	0.23
82/2	0.83
82/3	1.17
82/4	1.18
85	0.30
88	0.64
293	0.30
300	0.32
559	0.54
86	0.38
277	0.27
284	0.13
294	0.30
94/2	0.24
305	0.21
306	0.11
307	0.11
308	0.06
309	1.10
517	0.16
89/2 घ	0.18
89/2 क	0.28
89/4 ख	0.24
94/3	0.52

(1)	(2)	(1)	(2)
95/1	0.28	285	1.86
95/2	0.38	313	0.37
111/2	0.23	335	0.47
112/1	0.34	290	0.65
102/1	0.33	295/2	0.36
104/2	0.35	319/2	0.26
108/1	0.25	554/2	0.41
316/2	0.21	299	0.34
318/2	0.15	301	0.32
104/3	0.35	302	0.12
108/2	0.25	310	0.28
286/1	0.20	315	0.20
318/1	0.13	289/1	0.42
316/1	0.21	330	0.28
296	0.32	323	0.04
106	0.39	320	0.38
107	0.41	324	0.04
109	0.49	325/1	0.15
329/1	0.18	325/2	0.20
111/1	0.40	326/2	0.02
111/3	0.23	328	0.15
528	0.40	332	0.12
527/2	1.00	538/2	0.19
556	0.34	319/3	0.18
557	0.34	319/4	0.10
544/2	0.33	319/1	0.15
555/1	0.79	322	0.02
543/2	0.34	329/2	0.16
536/2	0.42	564	0.50
297/2	0.57	282	0.12
539/1	0.16	291	0.30
539/2	0.26	292	0.08
529	0.20	298	0.30
530/1 क	0.33	276/2	1.52
530/2	0.44	278	0.60
531/3	0.13	334/2	0.50
534/1	0.47	317/1	0.10
534/2	0.02	317/2	0.12
535	1.56	321/1	0.56
540/1	1.22	321/10	0.75
550	0.42	295/1	0.13
558/2	0.36	319/5	0.17
547	1.90	326/1	0.03
548/1	0.01		

(1)	(2)
336	0.59
योग 339	145.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगा-वाट मड़वा ताप विद्युत गृह के अंतर्गत आवासीय परिसर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 जून 2008

क्रमांक 11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-117.92 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1019/1	0.12
1019/4	0.40
1019/6	0.44
1035/2	0.31
1019/2	2.00
1019/3	1.46
1019/5	0.38
1031/2	0.50
1019/7	0.44
1019/10	1.20
1035/3	0.42
1019/8	0.43
1019/9	0.50
1035/4	0.70
1019/11	0.54
751	0.16
1019/12	0.38
1019/13	1.85
1020	0.40
1021	0.28
1019/14	0.37
750/2	0.95
1022/2	0.10
1027/3, 1027/4	1.10
1023/1	0.21
1027/2	0.30
750/1	0.40
1022/1	0.42
1023/4	0.95
1027/1	3.30
1024	0.70
1025	0.26
1026	0.29
1023/3	0.70
1054	0.60
1028	1.05
1029	1.30
1030/4	1.26
1032/1, 1033/1, 1034/1, 1036/1	5.77
1030/1	1.98
1030/2	0.98
1030/3	0.28
1032/2, 1033/2, 1034/2, 1036/2	8.12
1035/1	0.82
1035/5	0.75
1037	3.35
1220	1.12
1038	0.26
1039	1.30
1040	1.02
1074/3	0.63
1074/4	0.62
1048/1	0.64
1048/2	0.32
1048/3	0.32
1123	0.40

(1)	(2)
1049/1	0.37
1072/1	0.47
1049/2	0.33
1073	0.48
1070	0.38
1072/2	0.47
1074/2	0.42
1050	1.91
1051	0.34
1052	0.46
1053	0.34
1055/1	0.32
1055/2	0.33
1056	1.44
1057	0.48
1058/1	0.59
1058/2	0.29
1059/1	0.41
1060/1 ग	0.55
1060/1 ख	0.25
1076/1	0.33
1058/3	0.58
1058/4	0.58
1058/5	1.16
1058/6	0.29
1059/2	0.41
1060/1 घ	0.55
1060/3	0.25
1076/2	0.33
1060/1 क	1.00
1061/1	0.42
1061/2	0.43
1161/1	0.55
1062	0.52
1063	0.56
1064	1.13
1065	0.35
1066	1.00
1130	0.49
1131	0.34
1067/1	0.33
1067/2	0.32
1105	0.16
1106	0.70
1068/1	0.36
1068/2	0.35

(1)	(2)
1069	0.36
1132/2	0.10
1071	0.48
1110/1	0.02
1112/1	0.10
1113	0.21
1114	0.38
1119	0.30
1120	0.28
1074/1	0.83
1111	0.03
1075	0.06
1107	0.25
1077	0.26
1226	0.58
1155/2	0.14
1159	0.32
1104	0.34
1152/1	0.22
1108, 1109	0.09
1110/2	0.05
1112/2	1.00
1115	0.27
1116	1.00
1128/2	0.38
1129/2	0.50
1117	0.56
1118/1	0.27
1125/1	0.62
1127/1	0.25
1125/2	0.63
1127/3	0.25
1118/2	0.28
1121	0.28
1122/1	1.31
1122/2	0.50
1124	0.76
1031/1	1.80
1126/1	0.60
1126/2	0.60
1127/2	0.50
1161/3	0.36
1128/1	0.24
1128/3	0.38
1129/1	0.46
1132/1	1.13

(1)	(2)
1133/1	0.34
1133/2	0.70
1134	0.20
1156	0.38
1135	0.21
1147	0.37
1136	0.50
1160	0.40
1149	0.05
1150	0.52
1151	0.82
1152/2	0.36
1153	0.48
1154/2	0.38
1154/1	0.37
1162	2.15
1155/1	0.14
1158	0.42
1161/2	0.46
1161/7	0.30
1167/1	0.57
1161/4	0.60
1161/5	0.44
1161/6	0.59
1164/1	0.40
1164/2	0.46
1165	0.50
1166/1	0.34
1166/2	0.11
1168	0.53
1167/2	0.18
1169	0.40
1170/1	0.39
1170/2	0.06
1170/3	0.33
1163	2.17
योग 184	117.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगा-वाट मड़वा ताप विद्युत गृह के अंतर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 जून 2008

क्रमांक 12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पाली, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
161/3	0.40
167	2.00
170	0.04
177/13	0.60
157/1	1.20
161/2	0.80
158/6	0.22
160/4	0.27
163	2.00
172	0.04
177/7	0.35
158/2	1.33
169	0.06
160/7	1.33
177/11	1.40
162/3	0.76
171	0.04
177/6	0.43
160/6	0.45
166/3	0.31
175	0.04
176/3	1.00
159	1.00
177/2	1.00
177/19	1.52

(1)	(2)
157/2	0.50
157/3	0.30
161/4	0.70
177/4	0.60
158/5	0.22
160/3	0.27
173.	0.04
161/1	0.37
156	1.12
158/4	0.22
160/2	0.27
165/1	0.48
174	0.04
177/10	0.40
177/12	0.60
177/8	1.30
177/9	0.10
177/15	0.45
177/16	0[illegible]
177/20	0.16
177/21	0.16
177/22	0.16
158/1	0.22
158/3	1.57
158/7	0.22
160/1	0.27
160/5	0.26
177/3	0.16
177/23	0.16
177/5	0.55
177/14	0.60
160/8	0.44
160/9	0.45
162/1	0.62
162/2	0.62
164/1	0.46
164/2	0.24
164/3	0.30
164/4	1.00
166/1	0.35
176/1	1.00
166/2	0.34
176/2	1.00
168/1	1.00
168/2	1.00
177/29	0.40
165/2	1.52
योग	42.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2×500 मेगा-वाट मड़वा ताप. विद्युत गृह के अंतर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/01/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मिट्ठू नवागांव, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
290	0.14
631/3, 633/3	0.22

(1)	(2)
632/3	0.20
635/1	0.15
291/1	0.42
297/1	0.10
292/2	0.03
303/1	0.26
298/1	0.33
297/2	0.07
295	0.30
294/1	0.07
294/2	0.07
352	0.03
354/1	0.03
354/2	0.03
353	0.06
355	0.03
356	0.07
359	0.14
371	0.08
372/1	0.19
630/1	0.20
628	0.28
370/10	0.22
152/2	0.30
152/4	0.06
627/2	0.01
630/1	0.12
629/4	0.13
156/21	0.15
629/1	0.14
156/15	0.14
628/2	0.28
634	0.11
635/2	0.15
631/2, 633/2	0.20
632	0.06
273	0.16
योग	5.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/03/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
117/10	0.18
117/4	0.14
118/2	0.12
118/1	0.08
122	0.21
124/1	0.19
123/4	0.18
योग	1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/04/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बिटकुली, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.66 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
78	0.35
63/10	0.13
63/3	0.13
63/4	0.13
44	0.18
39	0.01
45/2	0.13
46	0.40
33	0.21
49/5	0.09
83	0.11
179/3	0.42
41/1	0.10
41/3	0.30
38	0.01
35/1	0.10
35/2	0.10
32/3	0.20
34	0.15
47	0.15
32/1	0.23
31	0.26
179/1	0.01
182/2	0.04
179/2	0.02
179/4	0.15
182/3	0.23
63/7	0.07
191	0.55
192/2	0.35
43/4	0.10
6/1 ङ	0.41
6/1 ङ /2	0.10
6/5	0.17
6/1 ख	0.48
43/1	0.09
योग	6.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/05/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-अटड्डा, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.57
5	0.15
6/3	0.28
6/2	0.11
8/3	0.15
6/1	0.07
8/1	0.27
67	0.36
15	0.37
36/2	0.18
39, 40	0.02

(1)	(2)
38/1	0.05
50/1	0.37
37	0.05
51	0.42
36/6	0.10
36/3	0.02
57/1	0.25
55	0.10
68	0.23
69/3	0.10
71	0.10
74	0.21
580	0.13
577	0.20
561/2	0.33
572/2	0.12
538/2 क	0.18
539/1	0.25
572/1	0.18
517/1	0.05
538/1	0.26
571/1	0.20
570/2	0.31
570/1	0.13
629/4	0.13
638/3	0.15
517/2	0.26
515	0.49
618	0.08
624	0.17
625	1.11
638/1	0.15
635/1	0.19
635/2	0.20
654/19	0.50
636	0.18
650/1	0.26
637	0.18
652/2	0.40
652/3	0.27
656	0.24
658, 659	0.42
657/3	0.11
532	0.08
657/1	0.11
655/1	0.18
654/14	0.64
664/2	0.33
562/2	0.15
638/2	0.16
661/2	0.37
654/15	0.18
579	0.15
539/3	0.30
573	0.35
योग	15.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/08/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सोढाकला, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.27 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
103	0.01
104/1	0.30
110	0.10

(1)	(2)
143, 144	0.40
113/8	0.07
113/2	0.08
104/3	0.50
113/9	0.07
113/11	0.12
102/3	0.36
105	0.05
106	0.02
104/2	0.13
107	0.03
108	0.03
योग	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/10/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-कोटा
   (ग) नगर/ग्राम-रिगरिगा, प. ह. नं. 01
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.88 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
134/1	0.10
143/3	0.40

(1)	(2)
180/1	0.15
244/2	0.07
180/2	0.13
179/1	0.09
179/2	0.37
172/2	0.12
171	0.27
198	0.24
217/4	0.03
217/2	0.40
199/1	0.08
208/2	0.26
207/6	0.21
207/5	0.22
242/2	0.23
242/1	0.20
199/2	0.36
207/2	0.28
251	0.19
217/3	0.08
213/1	0.20
217/5	0.12
215/2	0.20
213/3	0.20
213/2	0.12
217/10	0.16
217/9	0.03
243	0.25
218	0.12
योग	5.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/11/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-पोंडी, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
381/2	0.11
359	0.09
381/1	0.14
292/1	0.21
292/4	0.21
375	0.08
292/2	0.05
369	0.15
306/1	0.15
306/2	0.10
307	0.03
362	0.06
311/2	0.15
361/1	0.14
354	0.46
328/1	0.02
353/4	0.08
309	0.02
353/1	0.18
329/2	0.08
353/2	0.12
योग	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्वहन सिंचाई योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/12/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-जरगा, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
178, 66	0.55
29	1.00
43	0.19
28	0.03
39	0.09
58/1	0.07
58/2	0.14
58/3	0.05
58/4	0.05
58/5	0.05
64/1	0.14
64/2	0.12
64/3	0.12
64/4	0.04
38/1	0.08
38/5	0.10
योग	2.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/17/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कोनचरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
8/2	0.28
6	0.51
8/11	0.02
8/5	0.36
21/13	0.26
8/23	0.28
8/10	0.20
21/4	0.38
12/1	0.44
8/14	0.18
8/7	0.03
21/11	0.20
21/3	0.38
332	0.46
21/12	0.27
21/9	0.18
54/2	1.30
346/5 ख	0.42
79/2	0.24
79/4	0.04
79/7	0.04
346/6 ख, 346/6 ग	0.14
330/2	0.32
346/9	0.03
346/6 क	0.22
328/18	0.07
82, 83	0.64
85	0.70
331	0.02
327/1	0.50
346/5	0.50
326	0.05
86/1, 89/1, 90/1, 91/1	0.11
305	0.26
306	0.39
84/2	0.02
78/1	0.15
86/7, 89/7, 90/7, 91/7	0.26
328/12	0.14
328/13	0.07
300	0.19
346/1 घ	0.19
78/3	0.10
78/4	0.05
21/1 त, 10/3, 11/3	0.05
योग	11.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/35/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मझगवां, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.0[illegible] एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
250/2, 260/2	0.17
323/1	0.08
356/4	0.05
358	0.10
334/2	0.07
338/1	0.16
338/2	0.40
269/1	0.07
320/1	0.46
320/2	0.09
356/3	0.12
333/1	0.10
323/2	0.08
354/2	0.58
268	0.51
332	0.35
324	0.39
356/2	0.02
367/1	0.25
322/1	0.07
321/1	0.46
250/3 ख	0.33
321/2	0.53
322/2	0.10
365/1	0.31
366	0.03
269/2	0.18
योग	6.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक/2/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंडी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
474/8	0.34
474/6	0.11
474/2	0.66
447	1.09
438/4	0.21
513/5	1.54
447/3	0.10
447/5	0.91
513/7	0.92
447/7	0.80
513/8	0.92
439/1	0.12
439/2	0.75
438/3	0.17
437	0.43
436/1	0.31
432	0.34
436/4	0.27
480/2	0.25
480/1	0.33
479	1.22
478	1.90
512	0.77
477	1.14
509/1	0.08
509/7	0.32
509/8	0.32
513/2	0.92
447/6	0.80
513/6	0.92
योग 30	18.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक/03/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्लीबंद, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
750	1.21
751	0.80
747	0.48
745	0.26
746	0.92
774	0.22
775	1.49
773	0.12
786/3	0.50
786/2	0.63
452/3	0.05
786/1	0.10
789	0.72
787/2	0.51
812/1	0.02
811/2	0.80
787/2	0.85
812/2	0.22
788	0.45
792	0.43
793	0.35
800	0.03
811/1	0.31
794	0.06
797	0.10
798	0.57
813	0.01
830	0.70
432	0.40
806/1	1.12
453/2	0.94
840/1	0.10
831/2	0.30
457	1.77
455	0.63
454/2	0.44
453/1	0.06
454/1	0.22
899	0.42
452/2	0.42
454/4	0.36
450/2	0.25
450/3	0.30
451	0.50
450/4	0.37
450/1	0.02
448	0.35
435	0.42
436	0.55
437/1	0.03
434	0.19
795	0.68
450/5	0.30
योग 53	24.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक/11/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धरहर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
276/2	0.24
276/4	0.14
279/2	0.23
279/4	0.14
276/1	0.12
276/3	0.18
279/1	0.52
279/3	0.11
287/6	0.23
270/1	0.86
274	0.62
287/7	0.23
286/2	0.19
285/2	0.71
282/1	0.78
291/2	0.25
305	0.22
282/2	0.06
290/2	1.75
283	1.94
284	0.50
286/1	0.26
310	0.11
267/1	0.24
323/1	0.42
267/6	0.34
273/2	0.17
273/1	0.18
323/4	0.27
323/5	0.46
323/6	0.19
275	0.20
280	0.72
285/1	0.95
262/2	3.43
287/3	0.87
287/8	0.70
288/1	0.12
291/1 ख	0.60
267/3	0.42
281	4.19
321/1	0.20
322/2	0.15
270/2	0.86
278/2	0.45
278/4	0.15
277	0.18
290/1	0.57
237/2	0.63
269	0.36
286/3	0.08
287/2	0.24
287/1	0.26
287/4	0.10
287/5	1.30
288/2	0.18
289	0.08
272	0.74
267/4	0.35
278/1	0.45
278/3	0.15
322/4	0.60
योग 59	32.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक/12/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-खुरपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
28/2, 31/2, 32/3	0.35
49/1	2.06
49/3	0.30
28/6	0.15
28/8	0.97
28/9	0.20
29/1	0.20
30/2	0.10
30/5	0.9[illegible]
24	1.12
25/2	0.75
25/6	1.00
33/2	0.10
8	0.12
9/2	0.20
10	2.85
12/2	0.10
15/2	0.10
25/4	0.30
25/5	0.12
6/2	1.10
6/3	2.98
12/1 ख	0.10
28/5	0.18
28/7	0.97
29/3	0.04
29/4	0.08
30/3	0.50
30/6	0.55
33/1	0.57
30/4	1.05
27/4	0.25
38/2	0.26
49/2	0.44
6/1	2.20
11	0.90
38/1	0.99
योग 33	25.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक/19/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-ऐंठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/1	0.50
53/2 ख, 53/2 क	0.08
13/1	0.29
11/1	0.30
10	0.26
6/1 ग	0.21
6/3	0.10
12	0.13
13/2	0.29
8/2	0.13
7	0.20

	(1)	(2)
	2/1 द, 6/2	0.21
	8/1	0.10
	2/9	0.17
	2/11	0.10
	24	0.27
	2/10, 14/1	0.08
	25/1	0.15
	23	0.15
योग	16	3.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक/22/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.09 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	69/1	0.63
	701/3	0.17
	701/1	0.12
	697/1	0.08
	700/1	0.22
	697/6	0.18
	74/1	0.78
	700/2	0.06
	18/2, 24/2	0.20
	695	0.05
	18/1, 24/4	0.28
	683/1	0.11
	58	0.32
	75	0.78
	693/1	0.03
	67	0.37
	691/3	0.07
	690/1	0.10
	691/1	0.11
	691/2	0.06
	697/3	0.17
	697/5	0.09
	57/3	0.08
	57/7	0.08
	17/1	0.12
	59	0.22
	684/1	0.18
	2/2, 23/1	1.00
	579/2, 580/2	0.06
	692	0.10
	17/2	0.14
	683/2	0.10
	66	0.22
	696/1, 696/2, 697/2	0.03
	17/3	0.14
	56/4	0.45
	57/9	0.19
	71	0.47
	683/4	0.10
	57/1	0.10
	76/2	0.16
	698, 699	0.07
	683/5	0.10
योग	43	9.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक/24/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धरहर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.27 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
350/3	0.68
350/4	0.26
350/6	0.10
350/5	0.44
350/8	0.55
350/7	0.04
329/5	0.23
185/3	0.14
326	1.32
327, 328	0.25
190/4	0.15
191/2	0.18
206/1	0.31
207/1	0.07
349/6	0.42
353/5	0.21
344/1	0.41
329/1	0.32
355	0.22
157/1	0.04
190/2	0.08
349/4	0.20
193/3	0.24
349/2	1.36
323/1	0.53
150	0.36
151	0.19
329/3	0.18
167/1	0.14
153/2	0.11
190/3	0.15
191/1	0.18
192/2	0.18
206/2	0.31
349/1	0.20
353/1	0.21
329/2	0.30
346/1	0.07
194/2	0.26
195/2	0.06
1/3, 1/7	0.38
352	0.21
345	0.34
4/3 ग	0.10
1/14	0.55
4/3 ख	0.24
193/2	0.24
353/2	0.41
329/4	0.15
योग 50	14.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय योजना नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2008

क्रमांक 1/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेघोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.74 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
247	0.03
290	0.25
288	0.11
272	0.17
312	3.00
294	0.21
299	0.52
311	0.78
316	0.01
330	0.20
201	0.35
298	0.30
245	0.17
248	0.15
320	0.59
318	0.20
451	0.14
302	1.09
375	0.14
232	0.28
236	0.61
246	0.22
317	0.22
योग 23	9.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छेरीछापर जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2008

क्रमांक 8/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पूटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
152	0.13
22/13	0.11
118/3	0.06
117/1	0.08
129/4	0.15
262/17 ग	0.14
21	0.23
262/3	0.42
117/4	0.08
22/11	0.10
22/12	0.28
262/2 ख	0.16
118/2	0.05
130/1	0.14
114/1	0.09
123/3	0.14
262/2 ग	0.14
262/16	0.20
130/2	0.17
22/6	0.14
123/4	0.14
262/2 घ	0.15
117/1	0.07
118/1	0.12
119/1	0.30
128/1	0.31
योग 26	4.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पूटा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2008

क्रमांक 10/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बस्ती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
98/1	0.13
146/2	0.03
147/1	0.19
149	0.03
444	0.21
123	0.18
396/1	0.15
520, 521/1	0.15
396/2, 398/2	0.16
368/1	0.09
369	0.01
371	0.18
125/2	0.17
120	0.23
396/4	0.15
398/1	0.17
99/1	0.08
124	0.29
389/1	0.18
145/1	0.40
392	0.07
517/2	0.07
523	0.46
525/1	0.18
372/1	0.49
445	0.05
397	0.04
147/2	0.10
443	0.09
370	0.24
128	0.24
389/5	0.46
391	0.07
436	0.24
98/2	0.12
योग 34	6.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पूटा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2008

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पेटूलकापा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
32/3	0.10

	(1)	(2)
	39/1	0.11
योग	2	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2008

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चीनू, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	234	0.75
योग		0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसुआ व्यपवर्तन योजना के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2008

रा. प्र. क्र. 4/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मंजगांव, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9/1, 42/1, 43/1, 44/1	1.07
55	0.80
50	1.29
65/1	0.74
65/2	0.75
9/2, 42/2, 43/2, 44/2	1.07
9/3, 42/3, 43/3, 44/3	1.07
82/6	0.32
10/3	2.50
10/4, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 40/4	0.80
27/1, 28/1	2.60
61/1	2.29
37/2, 38/2, 39, 40/2	1.54
40/3	1.55
41/1	1.31
41/2	1.31
52/1, 53/1, 54/2	1.79
66/1	1.19
48/1	1.52
48/2	0.96
51/1	1.56
51/2	0.79
67/1	0.23
68/1	0.31
52/2, 53/2	2.17

	(1)	(2)
	56	1.33
	76/2	0.10
	57/1	0.64
	60/1, 60/2	2.18
	62/1, 63/1	0.82
	66/2	1.19
	75	1.45
	76/1	0.70
	79/1, 80/1	0.61
	64/1	1.76
	67/3	0.23
	68/3	0.31
योग	33	42.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मंजगांव ज़लाशय योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2008

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-फंदवानीकापा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	63/1	0.24
	63/2	0.45
	71/1	0.34
	71/2	0.34
	72, 73	0.72
योग	5	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2008

क्रमांक 675/वाचन/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिलौटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139	0.20
140	0.04
142	0.09

(1)	(2)
151	0.10
154	1.47
162	0.05
163/1	1.63
163/2	0.10
164	0.07
166	0.02
172	0.04
188	0.08
287	0.03
295	1.57
296	1.47
297	0.15
301/1	0.16
301/2	0.16
301/3	0.16
302	0.15
320	2.62
320/1490	0.03
321	0.13
322	0.14
391	0.13
395	0.09
योग 26	10.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिलौटा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2008

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिलौटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
384	0.09
402	0.14
405	0.07
409	0.02
410	0.06
411	0.12
406	0.02
664	0.25
667	0.09
669	0.04
672	0.21
685	0.08
686	0.03
687	0.07
689/1	0.15
689/2	0.15
691	0.02
692	0.04
708	0.18
763	0.08
764	0.43
904	0.12
906	0.04
907	0.03
908	0.03
911	0.02
912	0.03
913	0.03
914	0.05
917	0.02
919	0.12
932	0.10
947	0.10
1040	0.27

	(1)	(2)
	1042	0.11
	1050	0.05
	1051	0.04
	1052	0.06
	1058/1	0.07
	1058/2	0.07
	1060	0.04
	1061	0.03
	1064	0.03
	1065	0.04
	1070	0.05
योग	45	3.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिलौटा जलाशय नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	29	0.15
	30	0.22
	205/2	0.07
	205/3	0.07
	206	0.19
	207	0.30
	228	0.10
	229	0.09
	230	0.03
	231	0.12
	233	0.25
योग	11	1.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिलौटा जलाशय वेस्ट वियर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th June 2008

No. 677/Confdl./2008/II-2-1/2008.—The following Member of Higher Judicial Service, as specifiec in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service in appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions

Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted on deputation as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri A. K. Goyal, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	New Delhi	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 17th June 2008

No. 683/Confdl./2008/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Prisilla Ekka, II Civil Judge Class-I, Baikunthpur, for change of her surname, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Prisilla Paul Horo". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

Bilaspur, the 19th June 2008

No. 692/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2), of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Madhusudhan Chandrakar, Civil Judge Class-II.	Dongargarh	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-II
2.	Shri Prabhakar Gwal, II Civil Judge Class-II.	Bemetara	Durg	Durg	V Civil Judge Class-II

बिलासपुर, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 4871/तीन-22-3/2008 (धमतरी-कुरूद).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 712/तीन-22-3/2008 (धमतरी-कुरूद), दिनांक 18-01-2008 जहां तक उसका संबंध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, धमतरी की श्रृंखला न्यायालय कुरूद से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 23rd June 2008

No. 4871/III-22-3/2008 (Dhamtari-Kurud).—The Notification No. 712/III-22-3/2008 (Dhamtari-Kurud) dated 18-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh Bilaspur so for it relates to holding Link Court of 1st Civil Judge Class II & J. M. F. C., Dhamtari at Kurud is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2008

क्रमांक 4884/तीन-6-2/2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है—

अनु. (1)	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	सिविल जिला (4)
1.	कु. संघपुष्पा भतपहरी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
2.	श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	चांपा	जांजगीर-चांपा
3.	श्री प्रशान्त कुमार शिवहरे, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
4.	कु. निधि शर्मा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	पंडरिया	कबीरधाम (कवर्धा)
5.	श्री राकेश कुमार सोम, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	कांकेर	उत्तर बस्तर (कांकेर)
6.	श्रीमती स्वर्णलता तिर्की, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
7.	श्री अजय सिंह राजपूत, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
8.	श्री व्ही. एल. टोप्पो, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
9.	श्री श्रीकान्त श्रीवास, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
10.	कु. पूजा मेहर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
11.	श्री विजय कुमार साहू, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बगीचा	जशपुर

Bilaspur, the 24th June 2008

No. 4884/III-6-2/2008.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, Judicial Magistrate First Class.	Janjgir	Janjgir-Campa
2.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, Judicial Magistrate First Class.	Champa	Janjgir-Campa
3.	Shri Prashant Kumar Shivhare, Judicial Magistrate First Class.	Janjgir	Janjgir-Campa
4.	Ku. Nidhi Sharma, Judicial Magistrate First Class.	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)
5.	Shri Rakesh Kumar Som, Judicial Magistrate First Class.	Kanker	Utter Bastar (Kanker)
6.	Smt. Swarnalata Tirki, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
7.	Shri Ajay Singh Rajput, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
8.	Shri V. L. Toppo, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
9.	Shri Shrikant Shrivas, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
10.	Ku. Pooj Mehar, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
11.	Shri Vijay Kumar Sahu, Judicial Magistrate First Class.	Bagicha	Jashpur

Bilaspur, the 27th June 2008

No. 703/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from

the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Dayaram Dayal, Deputy Secretary, Chhattisgarh Human Rights Commission.	Raipur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 1st July 2008

No. 715/Confdl./2008/II-3-48/2008.—The resignation tendered by Shri B. S. Gupta is hereby accepted and, his appointment as Special Judicial Magistrate, Bilaspur made vide Registry Order No. 512/Confdl./2007/II-3-48/2007 dated 14-11-2007 is terminated w. e. f. 16-06-2008.

Bilaspur, the 1st July 2008

No. 717/Confdl./2008/II-3-48/2008.—The resignation tendered by Shri B. D. Pradhan is hereby accepted and, his appointment as Special Judicial Magistrate, Raipur made vide Registry Order No. 512/Confdl./2007/II-3-48/2007 dated 14-11-2007 is terminated w. e. f. 04-06-2008.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.